अपील सूचना अधिकार संख्या 96/2020 (GCMS 2020/00167) (पोस्टल ऑर्डर नं. 48एफ/311178) राधेश्याम गोयल पुत्र स्व. श्री भगवान दास गोयल जाति अग्रवाल आयु 71 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर

27.02.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 26.06.2020 से पांच बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोकसूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.06.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

1. आपके कार्यालय का पत्रांक 492 दिनांक 27.02.2016 सम्बोधित श्रीमान् निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर में पहुंचने की तारीख व उसका पत्र प्राप्ति का क्रमांक व दिनांक की सूचना व प्रमाणित प्रति।
2. पत्र में वर्णित प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की प्रमाणित की सूचना व नकल
3. पत्र दिनांकित 27.02.2016 के अनुसरण में कार्यालय द्वारा जो जो कार्यवाही पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध मे की गई है, उसकी सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. श्री मलकीयत सिंह सैनी, जांच अधिकारी, सचिव नगर परिषद्, श्रीगंगानगर द्वारा बी.एल.ओ. श्री सुभाष गोयल के विरूद्ध मतदाता पर्ची वितरण प्रार्थी के परिवार को लोक सभा चुनाव 2014 में न करने पर उसके सही जांच न करने व प्रार्थी के बयान दर्ज न करने के आधार पर व अपूर्ण रिपोर्ट देने पर उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही करने की सूचना व आज तक की गई कार्यवाही की सूचना।

5. जिस नियम के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की है, उस नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति नियम की।

अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 23 दिनांक 10.09.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

उक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र द्वारा अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल के अपील पत्र के सम्बन्ध में निवेदन है कि आवेदन पत्रांक 7444 दिनांक 26.06.2020 से सम्बन्धित मूल प्रार्थना पत्र इस कार्यालय से सम्बन्धित न होने के कारण इस कार्यलय के पत्रांक एडीएम/सर्त/2020/20 दिनांक 02.07.2020 द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर को स्थानांतरित किया जा चुका है, जिसकी प्रति संलग्न है।

संलग्न : उक्तानुसार

sd-

अति. जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:55 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 20 दिनांक 02.07.2020 से अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत हस्तांरित कर दिया था इसलिए अपीलार्थी को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर से सूचना प्राप्त करनी चाहिए थी। अतः निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर को निर्देशित जाता है कि वे प्रार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (सतर्कता), श्रीगंगानगर एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.02.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.03.09 16:44:55 IST
Reason: SelfAttested